



- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रूपाथल के खेत खसरा नंबर 588 रकबा 1.7401 की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी रेवन्तराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के सहखातेदारी में मौजा रूपाथल के खेत खसरा नंबर 588 रकबा 1.7401 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 7 व 8 सरजू देवी व इन्द्रा देवी के सहखातेदारी में मौजा रूपाथल के खेत खसरा नंबर 588 रकबा 1.7401 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
3. प्रतिवादी संख्या 9 से 25 के हक बंट में मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः आराजी खसरे में मामला हस्तानान्तकरण/विनिमय का प्रतीत होने से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



()
कलक्टर
(आलय की सेवा के लिये)
जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)